<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र<u>०</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.— 328 / 15</u> संस्थित दिनांक— 27.10.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरूद्ध

- 1. कोमल पुत्र मुन्नालाल बरार उम्र 48 साल
- 2. मुन्नालाल पुत्र वंशी बरार उम्र 63 साल
- 3. गिलासा पुत्र वंशी बरार उम्र 58 साल
- 4. देवेंद्र पुत्र कोमल बरार उम्र 20 साल सभी निवासीगण ग्राम श्यामगढ़ तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 25.02.17 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 325, 325/34, 324, 324/34, 323/34 दो शीर्ष, 506 भाग—2 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक—06.10.2015 को शामं 06:00 ग्राम श्यामगढ में मुन्नालाल के मकान के पास सार्वजिनक स्थान पर फरियादी दुर्गा को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व वहां उपस्थित सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी दुर्गा सिहत आशाराम, गेंदालाल व बलीराम को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त मुन्नालाल ने आशाराम को लाठी से स्वेच्छया घोर उपहित कारित की एवं आरोपी देवेंद्र व गिलास ने आहत गेंदालाल व बलीराम को लाठी से व अभियुक्त कोमल ने फरियादी दुर्गा को धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित कर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—06.10.2015 को करीबन शामं 06:00 बजे के आसपास फरियादी दुर्गा जब घर पर था उसी समय अभियुक्त मुन्नालाल आया और फरियादी के छोटे भाई बलीराम से पुराने पैसों के लेनदेन को लेकर बुरी—बुरी मां—बहन की गालियां देने लगा। जब फरियादी

के द्वारा गाली देने पर मना किया तो अभियुक्त कोमल ने कुल्हाडी लेकर आया और कुल्हाडी फरियादी के सिर में मार दी, जिससे फरियादी के यहां सिर में चोट आ गई, चोट आने से सिर में खून निकल आया। जब आहत आशाराम कुल्हाडी को छुडाने लगा तो मुन्नालाल ने लाठी मारी जो आशाराम के दािहने हाथ व पीठ में लगी जिससे दािहन हाथ में चोट आई जिससे उसके यहां खून निकल आया व पीठ में मून्दी चोट आई। इतने में मौके पर गेंदालाल व बलीराम ने बीच बचाव किया तो अभियुक्त देवेन्द्र व गिलास ने उनसे भी लाठियों से मारपीट की जिससे बलीराम के सिर व घुटने में चोट लगी और सिर में खून निकल आया व घुटने में मून्दी चोट आई। अभियुक्तगण जाते—जाते कहा कि आज तो बच गये, अगर पुलिस में रिपार्ट की तो जान से मार दूंगा, फरियादी दुर्गा अन्य आहतगण के साथ जाकर दिनांक—06.10.15 को ही पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—410/15 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा—324, 323, 325, 506, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—25.02.17 को फरियादी दुर्गा अ०सा० 1 सहित आहत बलीराम अ०सा० 3, आशाराम अ०सा० 2 व मृतक गेंदालाल की ओर से उसकी पत्नी राजबाई के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) 320 (4) एवं 320 (8) द०प्र०स० के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा०द०वि० की धारा—294, 325,325/34, 323/34 दो शीर्ष व 506 भाग दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा०द०वि० की धारा—324, 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक—06.10.15 शामं करीब 06:00 बजे ग्राम श्यामगढ में मुन्नालाल के मकान के पास फरियादी दुर्गा की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त कोमल ने दुर्गा को धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
 - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये फिरयादी दुर्गा (अ0सा0—1), आशाराम (अ0सा0—2) व बलीराम (अ0सा0—3) के कथन अपने समर्थन में कराये हैं। फिरयादी दुर्गा प्रसाद (अ0सा0—1) जो कि घटना में अभियोजन कहानी के अनुसार आहत भी है का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना ढेड साल पहले की होकर शामं करीबन 06:00—07:00 बजे की है। फिरयादी के अनुसार अभियुक्तगण का उसके भाई बलीराम के साथ पैसों के लेनदेन का कुछ विवाद था, जिसके कारण अभियुक्तगण ने घर पर आकर उसके भाई बलीराम के साथ मारपीट कर दी थी। फिरयादी दुर्गा (अ0सा0—1) के अनुसार इस घटना के समय वह घर पर नही था मजदूरी पर गया था तथा शामं को घर आने के बाद उसके भाई बलीराम ने उसे घटना के बारे में बताया था तथा यह भी बताया था कि आशाराम और गेंदालाल के साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की थी। दुर्गा (अ0सा0—1) यह भी कहना है कि जब वह घर वापस आया था तो उसे उसके भाई घायल अवस्था में मिले थे।
- 07— दुर्गा अ0सा0—1 के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि उसने अभियोजन का इस बात पर समर्थन नही किया कि घटना उसके सामने घटित हुई थी तथा घटना में अभियुक्तगण ने उसके साथ भी मारपीट की थी, जब की यह साक्षी भी घटना में मुख्य आहत होकर फरियादी है। फरियादी दुर्गा (अ0सा0—1) अभियोजन कहानी के विरुद्ध अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहता है कि घटना के समय वह घर नही था बल्कि मजदूरी करने गया था तथा जब वापस लौट कर आया तो बलीराम (अ0सा0—3) ने उसे घटना के बारे में बताया था। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को पक्षविरोधी कर अभियोजन के द्वारा विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु संपूर्ण परीक्षण में इस साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नही किया कि घटना के समय वह मौके पर था तथा बीच वचाव में अभियुक्त कोमल ने उसके सिर पर कुल्हाडी मारी थी बल्कि इसके विपरीत दुर्गा (अ0सा0—1) का कहना है कि उसके सिर में पूर्व की चोट थी, अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की।
- 08— आशाराम (अ०सा0—2) एवं बलीराम (अ०सा0—3) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात को तो स्वीकार किया है कि बलीराम (अ०सा0—3) का आरोपीगण से पैसें के लेनदेन को लेकर पुराना विवाद था और घटना दिनांक को शामं 6 बजे उक्त विवाद पर से आरोपीगण ने बलीराम के साथ लातघूंसो ने मारपीट की थी। बलीराम (अ०सा0—3) ने आशाराम (अ०सा0—2) के साथ भी अभियुक्तगण द्वारा बीच बचाव में झूमाझटकी करना बताया है तथा आशाराम (अ०सा0—2) को गिरने से चोट आना बताया है जिसका समर्थन स्वयं आशाराम (अ०सा0—2) ने भी अपने कथनों किया है वही दोनो ही साक्षी आशाराम (अ०सा0—2) एवं बलीराम (अ०सा0—3) गेंदालाल को भी मौके पर उपस्थित होना बताया है। परन्तु गेंदालाल के साथ आरोपीगण ने कोई मारपीट की इस संबंध में इन दोनों ही साक्षियों ने कोई कथन नही दिये हैं।
- 09— यहां यह उल्लेखनीय है कि आशाराम (अ०सा0—2) व बलीराम (अ०सा0—3) पैसों के लेनदेन के विवाद को लेकर अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ की गई मारपीट की घटना का तो स्वीकार करते हैं परन्तु इन साक्षियों का यह कहना है कि आरोपीगण ने लातघूसों से मारपीट करना बताया है जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार आशाराम (अ०सा0—2) के द्वारा घटना में कोमल से कुल्हाडी छुडाने पर मुन्नालाल ने आशाराम (अ०सा0—2) को लाठी से मारपीट कर दाहिने हाथ व पीठ में उपहित कारित कि थी, जिसके संबंध में स्वयं आशाराम (अ०सा0—2) सिहत बलीराम (अ०सा0—3) ने कोई कथन नही दिये हैं तथा गेंदालाल की मौके पर आशाराम (अ०सा0—2) व बलीराम (अ०सा0—3) ने उपस्थिति तो बताई है परन्तु इन दोनो ही साक्षियों ने इस संबंध में कोई कथन नही दिये कि वास्वत में अभियुक्तगण में से किसने गेंदालाल के साथ

मारपीट की थी। आशाराम (अ०सा0—2) व बलीराम (अ०सा0—3) अभैयोजन कहानी के विरूद्ध यह कहते है कि आरोपीगण घटना के समय कोई हथियार नहीं लिये थे। अतः साक्षी आशाराम (अ०सा0—2) व बलीराम (अ०सा0—3) के कथन एक दूसरे के सामान है परन्तु उनके द्वारा दिये गये कथन अभियोजन कहानी से मेल नहीं खाते।

- 10— घटना दिनांक को आरोपीगण हथियार लेकर आये थे और जिसमें कोमल कुल्हाडी लिये था तथा बाकी अभियुक्तगण लाठियां लिये थे इस संबंध में इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नही दिये हैं, स्वयं फरियादी दुर्गा (अ0सा0—1) अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नही करता है तथा स्वयं को घटना का अनुश्रुत साक्षी बताते हुये, अपने साथ आरोपीगण द्वारा कोई मारपीट न किया जाना बताता है। इस संबंध में आशाराम (अ0सा0—2) व बलीराम (अ0सा0—3) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नही दिये के वास्तव में फरियादी दुर्गा (अ0सा0—1) मौके पर उपस्थित था या नही तथा अभियुक्गण ने वास्तव में दुर्गा के साथ कोई मारपीट की थी अथवा नहीं। आशाराम (अ0सा0—2) व बलीराम (अ0सा0—3) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन ने देने से उन्हें पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया हैं कि घटना के समय दुर्गा (अ0सा0—1) मौके पर उपस्थित था तथा इस बात का भी खण्डन किया है कि कोमल ने दुर्गा के सिर में कुल्हाडी से उपहित कारित की थीं।
- 11— फरियादी दुर्गा (अ०सा0—1) सिहत बलीराम (अ०सा0—3) व आशाराम (अ०सा0—2) ने अपने न्यायालीन कथनों में हालािक इस संबंध में अभियोजन के समर्थन में कथन दिये हैं कि बलीराम से आरोपीगण का पूर्व का पैसों के लेनदेन का विवाद था तथा घटना दिनांक को आरोपीगण ने बलीराम व आशाराम के साथ मारपीट भी की थी जिससे बलीराम (अ०सा0—3) आशाराम (अ०सा0—2) को उपहति भी कारित हुई थी परन्तु बलीराम अ०सा0—3 आशाराम अ०सा0—2 सिहत मृतक गेंदालाल की ओर से प्रकरण में अभियुक्तगण से किये गये राजीनामें के आधार पर उनकों कारित की गई उपहति के संबंध में अभियुक्तगण को पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है। विचार मुख्यतः इस बात किया जाना है कि वास्तव में दुर्गा (अ०सा0—1) को अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने धारदार हथियार कुल्हाडी से उपहति कारित की अथवा नहीं।
- 12— प्रकरण में दुर्गा (अ०सा०—1) जो कि फरियादी होकर मौके का अभियोजन कहानी अनुसार चश्मदीद साक्षी व आहत भी है परन्तु स्वयं फरियादी दुर्गा (अ०सा०—1) अभियोजन घटना के विरूद्ध घटना के समय मौके पर अपनी उपस्थित से ही इंकार करता है तथा घटना के समय घर के बाहर मजदूरी पर जाना बताता है। फरियादी इस बात पर भी अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं करता कि उसे अभियुक्तगण के द्वारा घटना में किसी प्रकार की उपहित कारित की गई वहीं घटना के अन्य साक्षी बलीराम (अ०सा०—3) व आशाराम (अ०सा०—2) अभियोजन कहानी के विरूद्ध फरियादी के अनुसार ही न्यायालय में दिये गये कथनों में घटना के समय दुर्गा (अ०सा०—1) की मौके पर उपस्थित तथा कोमल के द्वारा दुर्गा (अ०सा०—1) को कुल्हाडी से सिर पर उपहित कारित करने की घटना से ही इंकार करते हैं तथा दोनों ही साक्षी दुर्गा को घटना के समय मौके पर उपस्थित न होना बताते हैं।
- 13— फरियादी दुर्गा (अ०सा0—1) सिहत आशाराम (अ०सा0—2) व बलीराम (अ०सा0—3) के कथनों से घटना के समय दुर्गा (अ०सा0—1) की न तो घटना स्थल पर उपस्थिति प्रमाणित है और न ही यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने या उनमें से किसी ने दुर्गा (अ०सा0—1) को धारदार हथियार कुल्हाडी से कोई उपहति कारित की। फलस्वरूप साक्ष्य के अभाव में एवं

फरियादी दुर्गा (अ०सा0—1) सिहत ,आशाराम (अ०सा0—2) व बलीराम (अ०सा0—3) के द्व ारा अभियोजन के समर्थन कथन न देने से यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्तगण ने दिनांक—06.10.15 शामं करीब 06:00 बजे ग्राम श्यामगढ में मुन्नालाल के मकान के पास फरियादी दुर्गा की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त कोमल ने दुर्गा को धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित्त कारित की।

- 14— फलस्वरूप <u>अभियुक्तगण</u> कोमल पुत्र मुन्नालाल बरार, मुन्नालाल पुत्र वंशी बरार, गिलासा पुत्र वंशी बरार, देवेंद्र पुत्र कोमल बरार के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—324, 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर <u>अभियुक्तगण</u> कोमल पुत्र मुन्नालाल बरार, मुन्नालाल पुत्र वंशी बरार, गिलासा पुत्र वंशी बरार, देवेंद्र पुत्र कोमल बरार को भा०दं०वि० की धारा—324, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 15— <u>अभियुक्तगण</u>कोमल पुत्र मुन्नालाल बरार, मुन्नालाल पुत्र वंशी बरार, गिलासा पुत्र वंशी बरार, देवेंद्र पुत्र कोमल बरार के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति तीन लाठी एक कुल्हाडी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)